

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना : राज्य में 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले पात्र व्यक्तियों को मल्लिगा योजना का लाभ

चर्चा में क्यों

24 दिसंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना' के तहत राज्य में 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले पात्र व्यक्तियों को लाभ मल्लिगा ।

प्रमुख बिंदु

- 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना' के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए का ऋण 5 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा । पहले चरण में पात्र व्यक्तियों को एक लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है ।
- हतिग्राहियों को कौशल सत्यापन के बाद 5 दिसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिनि या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण में 500 रुपए का दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है । टूलकटि प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपए का अनुदान देने की सुविधा है । डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रतिमाह अधिकतम 100 रुपए के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन 1 रुपए नरिधारति है ।
- ज़िला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से मल्लि जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ती इसका लाभ उठा सकते हैं । इनमें राजमस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढई, लोहार, सुनार, असतरकार, मूरतकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची/जूता बनाने वाला कारीगर, नाव नरिमाता, टोकरी/चटाई/झाडू बनाने वाला, गुड़िया और खलौना नरिमाता, हथौड़ा और टूलकटि नरिमाता, फशिगि नेट नरिमाता शामिल हैं ।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ती चॉइस सेंटर के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है । इसके लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक वविरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी ।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 वर्ष पूरण होनी चाहिए । स्वरोजगार/व्यवसाय वकिस योजनाओं के तहत हतिग्राही ने पछिले 5 वर्ष में कसि भी शासकीय योजना अंतर्गत ऋण न लिया हो । योजना के तहत परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा । सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ती और उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं होंगे ।